FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत.. मुकाम..

नरपतराम बनाम हिम्मताराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा०वाद 88,188 नं. 59 सन 2020

Rt Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेतारामसारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/6/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
09/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 15/07/2020 को पेश हो। [initials]	
15/7/2020	वादी वकील उप० प्रतिवादीगण 1 की ओर से वकील [illegible] सियाग की द्वारा वकालतनामा मय जवाब मय शपथ पत्र पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 व स्वतंत्र गवाह PW-2 के शपथ पत्र पेश किए गए। जिसे [illegible] किया गया। वादी वकील की [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	नरपतराम हिम्मताराम [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

सुनी गई, पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, अवलोकन के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)
[illegible].12.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 59/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. नरपतराम पुत्र हिमताराम
जाति जाट निवासी जान्दुओं की
ढाणी, खींपर तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. हिमताराम पुत्र फतूराम
जाति जाट निवासी जान्दुओं की
ढाणी, खींपर तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी बाटाडू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक :** 15/7/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 682/432 रकबा 8.0900 हैक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 192, 193, 401/248, 485/193 रकबा क्रमशः 0.1214, 13.0654, 3.2360, 0.0405 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ [illegible] स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब [illegible] वादीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर [illegible] बायतु 15.7.2020

के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण फतुराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 682/432 रकबा 8.0900 हैक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 192, 193, 401/248, 485/193 रकबा क्रमशः 0.1214, 13.0654, 3.2360, 0.0405 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन दर्ज होगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 15/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास 15.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. नरपतराम पुत्र हिमताराम
जाति जाट निवासी जान्दुओं की
ढाणी, खींपर तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. हिमताराम पुत्र फतूराम
जाति जाट निवासी जान्दुओं की
ढाणी, खींपर तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी बाटाडू

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–59/2020. **निर्णय दिनांक :–** 15/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री जगदीश चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 682/432 रकबा 8.0900 हैक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 192, 193, 401/248, 485/193 रकबा क्रमशः 0.1214, 13.0654, 3.2360, 0.0405 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन दर्ज होगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(seal: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु, सत्यमेव जयते)

(signature)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested